भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 127
दिनांक 19 **दिसम्बर**, 2022

ओएनजीसी द्वारा खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि

*127. **श्री एस. कल्याणसुन्दरम**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से तंजावूर, तिरुवारुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टै, कडलूर, अरियलुर और माइलादुथुरै के डेल्टा जिलों में ओएनजीसी द्वारा खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार के पास डेल्टा जिलों में सीएसआर परियोजनाओं के चयन के लिए कोई उचित निगरानी समिति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री हरदीप सिंह पुरी**)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'ओएनजीसी द्वारा खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि' के संबंध में संसद सदस्य श्री एस. कल्याणसुन्दरम द्वारा दिनांक 19.12.2022 **को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.** 127 **के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख): पिछले वित्त वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमाओं के साथ कारोबार अथवा निवल मूल्य अथवा निवल लाभ के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत लाभ निगमित सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) के तहत कल्याणकारी कार्यों पर ख़र्च करने के लिए अधिदेशित है। ओएनजीसी सहित ऐसी कंपनियां अपने सीएसआर के भाग के रूप में अपने कार्य केंद्रों के आस-पास स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता और पेय जल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणोन्मुखी पहलों तथा बुज़ुर्गों और दिव्यांगों की देख-भाल पर विशेष ज़ोर देते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत पहचाने गए शीर्षों के तहत सीएसआर कार्यकलाप करती हैं।

सीएसआर बोर्ड आधारित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, अनुमोदित करने, निष्पादित करने और उन पर निगरानी रखने का अधिकार प्राप्त है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में वार्षिक आधार पर सीएसआर कार्यकलापों के ब्यौरे फाइल करना अपेक्षित है। सरकार एमसीए 21 पोर्टल पर कंपनियों द्वारा दी गई जानकारियों के माध्यम से सीएसआर प्रावधानों की अनुपालना पर निगरानी रखती है। कंपनियों द्वारा गैर अनुपालना सहित सीएसआर के बारे में वित्तीय विवरणों में आवश्यक जानकारी देना अपेक्षित है। अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड के प्रति जवाबदेही और कंपनी के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों में सीएसआर प्रावधानों की निगरानी की व्यवस्था है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक थांजावुर, थिरुवरूर, नागापट्टीनम, पुडुक्कोट्टई, कुड्डालोर, अरियालुर और मयिलादुथुरई डेल्टा जिलों में ओएनजीसी द्वारा खर्च की गई सीएसआर निधियों की धनराशि निम्नानुसार है:

(लाख रु में)

जिला	2019-20	2020-21	2021-22
थांजावुर	256.32	25.76	52.83
थिरुवरूर	1090.66	234.89	460.36
नागापट्टीनम	455.80	163.54	140.53
पुडुक्कोट्टई	0.00	0.00	34.69
कुड्डालोर	30.98	8.00	0.00
अरियालुर	0.00	0.00	17.17
मयिलादुथुरई	2020 से नया जिला। इससे पहले यह नागापट्टीनम का एक भाग था।		38.03